आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
29.01.2019	<u>न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया</u> **सेवा अपील वाद संख्या-77/2018** 1. नाजमीन आरा, पति अब्दुस रउफ, सा0-भोखरी, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया। ..... अपीलार्थी **बनाम** 1. बिहार सरकार। ..... विपक्षी **<u>आ दे श</u>** प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-685/जि0प्रो0, दिनांक-21.05.2018** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-207, पंचायत-मझुआ हाट, परियोजना-अमौर** के **सहायिका** पद से संबंधित है। दिनांक 05.05.18 को अपीलार्थी से संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाये जाने के आलोक में तथा दिनांक 28.04.18 को टी0एच0आर0 का वितरण नहीं कर केन्द्र को बंद रखने के आरोप में अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि उनकी चार वर्षीय पुत्री बिमारी से ग्रसित थी जिन्हें दिनांक 05.05.18 के सुबह में संबंधितों को सूचना देकर डॉक्टर के पास लेकर गयी। उस बच्ची के इलाज में दिनांक 05.05.18 से दिनांक 08.05.18 तक का समय लगा जिसका प्रमाण पत्र अपील आवेदन के साथ संलग्न है। इसी क्रम में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का जाँच कर फर्जी प्रतिवेदन तैयार कर भेजा गया। चयन मुक्त करने के पूर्व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निर्गत नोटिस का तामिला अपीलार्थी को नहीं कराया गया। उक्त नोटिस का तामिला मात्र केन्द्र की सेविका को कराया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश	

विधि सम्मत नहीं है, जिसे खारीज करने की कृपा की जाए।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **पत्रांक 1886/जि0प्रो0 दिनांक 24.12.2018** द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पक्ष सुनने के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। मंतव्य प्रतिवेदन से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत केन्द्र का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा था।

अपीलार्थी का अपील आवेदन तथा मंतव्य प्रतिवेदन/अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गयी है। बिना किसी सूचना के केन्द्र को बंद रखा गया था। निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे निम्न न्यायालय के आदेश का खण्ड हो सके। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 685/जि0प्रो0 दिनांक 21.05.2018** में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।